आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 7(4)अकाद/ आकाशि / OAP/ 1690 दिनांक : 14/08/19

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान

विषय : स्नातक पार्ट–II , III व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में प्रवेश नवीनीकरण 17.8.19 तक पूर्ण करने के सन्दर्भ में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि विद्यार्थी हित एवं महाविद्यालय की मांग को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक पार्ट–II, पार्ट–III व स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में प्रवेश नवीनीकरण के लिए पात्र विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा किसी भी कारणवश प्रोन्नत नहीं किया गया है अथवा प्रोन्नत विद्यार्थियों ने दिनांक 31.7.19 तक फीस जमा नहीं करवायी है, ऐसे शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु ई-मित्र पर पोस्टिंग व ई-मित्र पर फीस जमा करवाने की सुविधा दिनांक 17.8.2019 तक उपलब्ध रहेगी।

आपसे अपेक्षित है कि अब तक फीस नहीं जमा कराने वाले प्रवेश पात्र शेष रहे अभ्यर्थियों का data दिनांक 17.8.2019 तक ई-मित्र पर post किया जाना व विद्यार्थियों से ई-मित्र पर फीस जमा करवाकर नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिससे छात्र संघ निर्वाचन प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

कोई पात्र विद्यार्थी सूचना के अभाव में प्रवेश से वंचित ना रहे, इस हेतु सूचना प्रेषण के लिए विद्यार्थी से दूरभाष/मोबाइल पर संपर्क व प्रचार प्रसार हेतु समुचित प्रयास किये जावे।

14.8.19
(डॉ. आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि :

वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

14.8.19
(डॉ. आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)